रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934
No. 513] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 751(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) (योधक) अराजपत्रित समूह 'ख' भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक(पुस्तकालयाध्यक्ष) (योधक, अराजपत्रित, समूह 'ख पद') भर्ती नियम, 2012 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :– वह व्यक्ति–

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

"शेप–1" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं , द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

एस– मनोवैज्ञानिक
एच– श्रवण शक्ति
ए – उपांग (अपैडेजेस)
पी – शारीरिक क्षमता
ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दशाई जाएगी । कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगें सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1पी1 ई1 लिखने के बजाए शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

1. कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

2. सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या कानों–ऑखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

3. "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्किय कर्तव्यों के योग्य किन्तु उच्च स्थान (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है।

4. अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

5. कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

6. **अन्यदेशीय अपात्रता** :– कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित रूप में संज्ञापित केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।